भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3474

(शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

ऑनलाइन सर्च इंजन पर अर्थदंड का प्रभाव

3474. प्रो. सौगत रायः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑनलाइन सर्च इंजन ने किसी भारतीय कानून का उल्लंघन किया है तथा उस पर अपने गैर-प्रतिस्पर्धात्मक आचरण के कारण अर्थ दंड लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उक्त निर्णय भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सूचित किया है कि ऑनलाइन सर्च इंजन गूगल प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4(2)(क)(i) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। सीसीआई ने दिनांक 31.01.2018 के आदेश द्वारा अलग-अलग दर्ज दो मामलों, अर्थात् मैट्रीमोनी.कॉम लिमिटेड बनाम गूगल एलएलपी एवं अन्य [सं. 07/2012] और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी (सीयूटीएस) बनाम गूगल एलएलसी एवं अन्य [सं. 30/2012] में ऑनलाइन सामान्य खोज और ऑनलाइन खोज विज्ञापन बाजारों के लिए गूगल को बाजार में प्रभुतापूर्ण माना और प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार करने हेतु गूगल पर 135.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

(ख): मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

*****